**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 135**

**10 मार्च, 2015 को उत्तर के लिए**

**सेना की लंबित आधुनिकीकरण परियोजनाएं**

**\*135. श्री परिमल नथवानी :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत कुछ वर्षों से सेना की कई आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लम्बित रहने के क्या कारण हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप सशस्त्र सेनाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हों, तो क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आधुनिकीकरण परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रीकर)**

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**सेना की लंबित आधुनिकीकरण परियोजनाओं के बारे में राज्य सभा में 10 मार्च 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 135 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) : अधिप्राप्ति मामलों में विलंब अपर्याप्त तथा सीमित विक्रेता आधार, प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) की शर्तों पर ऑफरों का खरा न उतरना, फील्ड परीक्षण, संविदावार्ताओं में जटिलताएं, हितधारक विचार-विमर्शों, स्वदेशीकरण में लगने वाले समय आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से होता है ।

(ख) : सरकार सुरक्षा परिदृश्य की सतत समीक्षा करती है और तदनुसार सशस्त्र सेनाओं को तैयार रहने की स्थिति में रखने और आधुनिक शस्त्र प्रणालियों से सज्जित करने के लिए उपयुक्त रक्षा उपस्करों को शामिल करने का निर्णय लेती है ।

(ग) : सरकार द्वारा किए गए उपायों में आवश्यकता की स्वीकृति लेने से पूर्व सेवा गुणात्मक आवश्यकताओं को अंतिम रूप देना; आवश्यकता की स्वीकृति वैधता को एक वर्ष तक कम करना; वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन; सामूहिक रूप से निर्णय लेने तथा संविदाओं के निष्पादन में विलंब के लिए विक्रेताओं पर परिनिर्धारित हर्जाना लगाया जाना शामिल है ।

\*\*\*\*\*